[2018] 4 उम. नि. प. 184

शक्ति प्रसाद भट्ट और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

26 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16 [सपठित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3] – राज्य पुनर्गठन के पश्चात् नए राज्य में पिछली सेवा का फायदा – उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सहकारी सोसाइटियों के देयों की वसूली के लिए नियुक्त कुर्क अमीनों को राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् उत्तराखंड राज्य में नियुक्त किया जाना किन्तु उन्हें राज्य के विभाजन की तारीख से न कि उनकी नियुक्ति की तारीख से फायदे प्रदान किया जाना – राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, राज्य के विभाजन मात्र से नए गठित राज्य में आमेलित कुर्क अमीनों की पिछली सेवा को चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान, सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों और पेंशन के प्रयोजनार्थ समाप्त नहीं किया जा सकता है और वे अपनी नियुक्ति की तारीख से ही पिछली सेवाओं के फायदे के हकदार होंगे ।

प्रस्तुत मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम के अनुसरण में वर्ष 1978 में और उसके पश्चात् सहकारी सोसाइटियों के बकाया देयों की वसूली करने के लिए कुर्क अमीन नियुक्त किए गए थे । उनकी नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तें स्कीम के अधीन शासित होती थीं । उन्हें वेतन के आधार पर संदाय करने संबंधी सरकार के पूर्ववर्ती विनिश्चय को वापस ले लिया गया था और उन्हें कमीशन के आधार पर कार्य करने के लिए कहा गया था । चूंकि कुर्क अमीन कमीशन के आधार पर कार्य करने के लिए सहमत नहीं हुए थे इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं । वर्ष 1980 में, उन कुर्क अमीनों ने, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं या जो कमीशन के आधार पर संदाय किए जाने के लिए सहमत नहीं थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने सेवा-समाप्ति के आदेश को अभिखंडित कर दिया और यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुतोष प्रदान किया कि कुर्क अमीन सिविल पद धारण किए हुए सरकारी सेवक थे और इसलिए वे उसी प्रकार व्यवहार किए जाने के हकदार थे जैसा कि उत्तर

प्रदेश सरकार की सेवाओं में अन्य सेवकों के साथ किया जाता है । वर्ष 1995 में, चन्द्र प्रकाश पांडे नामक एक व्यक्ति ने राज्य सरकार को यह निदेश देने की ईप्सा करते हुए एक रिट याचिका फाइल की कि उसे और अन्य व्यक्तियों को नियमित वेतनमान में रखा जाए, जो कि राजस्व विभाग के कुर्क अमीनों को संदत्त किया जा रहा था । एकल न्यायपीठ ने रिट याचिका में की गई प्रार्थना को मंजूर कर लिया जिसके विरुद्ध, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष एक विशेष अपील फाइल की गई थी और खंड न्यायपीठ ने एकल न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय को अभिपुष्ट कर दिया । वर्ष 1996 में, उत्तर प्रदेश सहकारी संघर्ष कर्मचारी संघ ने एक अन्य रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अपने पूर्व विनिश्चय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त मामले में अधिकथित सिद्धांत कमीशन के आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों को भी लागू होता है क्योंकि उन दोनों की स्थिति एक-जैसी है । उक्त विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कमीशन के आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों को नियमित आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों के समान माना जाना है । उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील फाइल की गई और खंड न्यायपीठ ने उक्त विनिश्चय को अभिपुष्ट कर दिया जिसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दी । उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और तारीख 9 नवम्बर, 2000 से उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई । अनेक कुर्क अमीनों को, जिनके अंतर्गत अपीलार्थी भी हैं, उत्तराखंड राज्य में आबंटित किया गया था और उन्हें उत्तराखंड की सरकारी सेवा में आमेलित किया गया था । चूंकि अनिश्चितता बनी रही, इसलिए कुर्क अमीनों ने तारीख 16 नवम्बर, 1985 से अनुतोष की ईप्सा करने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट आवेदन फाइल किया । उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ ने रिट याचिका मंजूर कर ली जिसके विरुद्ध उत्तराखंड राज्य द्वारा अपील फाइल की गई । खंड न्यायपीठ ने यह राय व्यक्त की कि अपीलार्थियों को उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय के फायदे से इनकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्थिति भी वहीं है । तथापि, खंड न्यायपीठ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि वे तारीख 9 नवम्बर, 2000 से न कि तारीख 16 नवम्बर, 1985 से पारिणामिक फायदों के हकदार

होंगे । इसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि उनकी पूर्ववर्ती सेवाओं की गणना नहीं की जाएगी; यह केवल उत्तराखंड राज्य पर वर्ष 1985 से नियत तारीख, अर्थात्, 9 नवम्बर, 2000 की बाबत धनीय दायित्व न डालने की बाबत था । उत्तराखंड सहकारी संघर्ष कुर्क अमीन परिषद् द्वारा एक नई रिट याचिका फाइल की गई थी, और उसे मंजूर कर लिया गया था । राज्य ने उक्त विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने उस विनिश्चय को उलट दिया जिसके विरुद्ध वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – राज्य का पुनर्गठन हो जाने पर कुर्क अमीनों की पिछली सेवा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था और उच्चतम न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का फायदा ऐसे उक्त कुर्क अमीनों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध था, जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य को आबंटित की गई थीं । उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदान की गई सेवाओं को चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों, जिनके अंतर्गत पेंशन आदि भी है, पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है । यह निर्णय विधि के अनुसार सही नहीं है और न्यायोचित फायदे को किसी उचित कारण के बिना छीन लिया गया है और यह सेवा विधिशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है और राज्य का विभाजन होने के कारण पदधारी पेंशनिक और अन्य फायदों के लिए अपनी सेवाओं का फायदा खो नहीं सकते । इस प्रकार, उनकी पिछली सेवाओं की गणना सभी प्रयोजनों के लिए करनी होगी, जिसके अंतर्गत चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदे और पेंशन भी है और उसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है । अपीलार्थियों को ऐसे सभी अनुतोषों का हकदार ठहराया जाता है जो कि उन्हें एकल न्यायपीठ द्वारा अनुदत्त किए गए थे । यह फायदा समरूप स्थिति वाले अन्य सभी पदधारियों को भी दिया जाए और उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त मुकदमेबाजी में धकेला नहीं जाना चाहिए । (पैरा 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2001]	(2001) 4 एस. सी. सी. 78 : **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** बनाम **चन्द्र प्रकाश पांडे और अन्य** ।	12, 15, 17

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 4519 -4530.

2017 की विशेष अपील सं. 305, 314, 316, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 और 328 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नैनीताल न्यायपीठ के तारीख 11 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री वी. शेखर, ज्येष्ठ अधिवक्ता, चन्द्र शेखर अशरी, शशांक शेखर, (सुश्री) स्तुति नैना करवाल और पृथ्वी सिंह

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री तन्मय अग्रवाल और जतिन्दर कुमार भाटिया

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने दिया ।

न्या. मिश्रा – इजाजत दी जाती है ।

2. मध्यक्षेप/अभियोजित करने संबंधी आवेदन मंजूर किया जाता है ।

3. उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नैनीताल स्थित एकल न्यायपीठ द्वारा उत्तराखंड सहकारी संघर्ष कुर्क अमीन परिषद् द्वारा चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान और सेवानिवृत्ति पश्चात् फायदों के प्रयोजनार्थ, जिसके अंतर्गत पेंशन आदि भी है, नियत तारीख से पिछली सेवाओं का फायदा प्रदान करने के लिए फाइल की गई 2015 की रिट याचिका सं. 2372 में तारीख 11 अप्रैल, 2017 को पारित आदेश को खंड न्यायपीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया है । एकल न्यायपीठ ने निम्नलिखित अनुतोष अनुदत्त किया है :–

> "तद्नुसार, प्रस्तुत याचिकाओं का इसमें इसके ऊपर उद्धृत निर्णय के निबंधनानुसार निपटारा किया जाता है । प्रत्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे याचियों को आज से दस सप्ताह की अवधि के भीतर ए. सी. पी. प्रदान करें और याचियों की पिछली सेवाओं की गणना नियत तारीख से चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान और सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों के प्रयोजनार्थ करें, जिसके अंतर्गत पेंशन आदि भी है ।"

4. संक्षेप में, तथ्यों से यह उपदर्शित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम के अनुसरण में वर्ष 1978 में और उसके पश्चात् सहकारी

सोसाइटियों के बकाया देयों की वसूली करने के लिए कुर्क अमीन नियुक्त किए गए थे । उनकी नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तें स्कीम के अधीन शासित होती थीं । उन्हें वेतन के आधार पर संदाय करने संबंधी सरकार के पूर्ववर्ती विनिश्चय को वापस ले लिया गया था और उन्हें कमीशन के आधार पर कार्य करने के लिए कहा गया था । चूंकि कुर्क अमीन कमीशन के आधार पर कार्य करने के लिए सहमत नहीं हुए थे इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं ।

5. वर्ष 1980 में, उन कुर्क अमीनों ने, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं या जो कमीशन के आधार पर संदाय किए जाने के लिए सहमत नहीं थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की ।

6. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, तारीख 16 नवम्बर, 1985 को सेवा-समाप्ति के आदेश को अभिखंडित कर दिया और यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुतोष प्रदान किया कि कुर्क अमीन सिविल पद धारण किए हुए सरकारी सेवक थे और इसलिए वे उसी प्रकार व्यवहार किए जाने के हकदार थे जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में अन्य सेवकों के साथ किया जाता है ।

7. वर्ष 1995 में, चन्द्र प्रकाश पांडे नामक एक व्यक्ति ने राज्य सरकार को यह निदेश देने की ईप्सा करते हुए एक रिट याचिका फाइल की कि उसे और अन्य व्यक्तियों को नियमित वेतनमान में रखा जाए, जो कि राजस्व विभाग के कुर्क अमीनों को संदत्त किया जा रहा था ।

8. उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ ने रिट याचिका में की गई प्रार्थना को मंजूर कर लिया । इसके विरुद्ध, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष एक विशेष अपील फाइल की गई थी और खंड न्यायपीठ ने तारीख 5 मई, 1995 को एकल न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय को अभिपुष्ट कर दिया ।

9. वर्ष 1996 में, उत्तर प्रदेश सहकारी संघर्ष कर्मचारी संघ ने एक अन्य रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 1980 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 738 में दिए गए विनिश्चय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त मामले में अधिकथित सिद्धांत कमीशन के आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों

को भी लागू होता है क्योंकि उन दोनों की स्थिति एक-जैसी है । उक्त विनिश्चय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । इस न्यायालय ने मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए उसे उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था ।

10. उच्च न्यायालय ने तारीख 22 मार्च, 1996 के निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि कमीशन के आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों को नियमित आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों के समान माना जाना है ।

11. उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील फाइल की गई थी और खंड न्यायपीठ ने तारीख 4 अप्रैल, 1997 को उक्त विनिश्चय को अभिपुष्ट कर दिया ।

12. इस न्यायालय में अपील फाइल करके एकल न्यायपीठ के तारीख 22 मार्च, 1996 के विनिश्चय और खंड न्यायपीठ के तारीख 4 अप्रैल, 1997 के विनिश्चय को चुनौती दी गई थी । इस न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** बनाम **चन्द्र प्रकाश पांडे और अन्य**[1] वाले मामले में इस मामले का विनिश्चय किया जिसके सुसंगत पैराओं को इसके नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "4. इसके पश्चात्, चन्द्र प्रकाश पांडे नामक एक व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्तियों ने, जो 1995 की सिविल अपील सं. 8467-68 में प्रत्यर्थी हैं, उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य को यह निदेश देने के लिए एक रिट आवेदन फाइल किया कि वह उन्हें उसी नियमित वेतनमान में संदाय करे जो कि राजस्व विभाग के कुर्क अमीनों को संदेय था । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने ऊपर निर्दिष्ट 1980 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 738 में खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए रिट आवेदन मंजूर कर लिया और रिट याचियों को नियमित वेतनमान में वेतन का संदाय करने का निदेश दिया, जिस आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा खंड न्यायपीठ के समक्ष विशेष अपील फाइल की गई थी जबकि रिट याची चन्द्र प्रकाश ने भी विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध एक अपील फाइल की क्योंकि उनके वेतन को

---

[1] (2001) 4 एस. सी. सी. 78.

नियत करने और बकाया का भुगतान करने का कोई निदेश नहीं दिया गया था । दोनों अपीलों का निपटारा तारीख 5 मई, 1995 के निर्णय द्वारा किया गया था । राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई थी और रिट याची द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर कर ली गई थी, जिससे 1995 की सिविल अपील सं. 8467-68 उद्भूत हुई ।

8. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई इन सभी अपीलों में, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री राकेश द्विवेदी ने इन निर्णयों को इस आधार पर चुनौती दी कि सहकारी सोसाइटियों के बकाया देयों की वसूली करने के लिए नियुक्त किए गए कुर्क अमीन सरकारी सेवक नहीं माने जा सकते थे और उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना न्यायोचित नहीं था कि वे उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन सिविल पद धारण किए हुए हैं क्योंकि कुर्क अमीनों की नियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा सहकारी सोसाइटियों के बकाया देयों की वसूली करने के लिए विरचित एक स्कीम के अधीन की गई थी । दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री आर. के. जैन ने यह दलील दी कि न तो 1995 की सिविल अपील सं. 8467-68 में और न ही 1997 की सिविल अपील सं. 6075 में, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पृथक् विस्तृत निर्णय दिए गए हैं, राज्य की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रति-शपथपत्र फाइल किया गया था यद्यपि इस न्यायालय द्वारा मामले को प्रतिप्रेषित करने के पश्चात् भी राज्य की ओर से इसके विरोध में कोई शपथपत्र फाइल नहीं किया था । इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि तथाकथित स्कीम, जो कि इस न्यायालय के समक्ष राज्य के निवेदन का आधार है, न तो उच्च न्यायालय के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत की गई थी और वह बहस के दौरान ही प्रस्तुत की गई थी इसलिए उसे विचार में नहीं लिया जाना चाहिए । इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए कि क्या सहकारी सोसाइटियों के बकाया देयों की वसूली करने के लिए नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों और राज्य के बीच मालिक और सेवक का संबंध था, ऐसी अनेक परिस्थितियां होंगी जिन पर उसका अवधारण करने के लिए विचार किया जाना होगा और प्रस्तुत मामले में ऐसे प्रश्न का विनिश्चय कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का

वर्ग राज्य का सेवक है अथवा नहीं, जो कि एक तथ्य संबंधी प्रश्न है, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे विभिन्न घटकों पर विचार करने के पश्चात् किया गया है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विधि के अधीन आवश्यक हैं कि प्रत्यर्थी कोई सिविल पद धारण किए हुए थे और वे सरकारी सेवक थे किन्तु राज्य तथ्य संबंधी उक्त कथनों को निर्णयों में चुनौती देने में असफल रहा है ।

9. निस्संदेह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह विनिश्चय कि सहकारी सोसाइटियों के देयों की वसूली करने के लिए वेतन के आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीन सिविल पद धारण किए हुए थे और सरकारी सेवक बन गए, अंतिम हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उसकी शुद्धता को इस मामले को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि मामले को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते समय कि क्या कमीशन के आधार पर नियुक्त किए गए कुर्क अमीनों के मामलों में भी वही स्थिति है जैसी कि वेतन के आधार पर नियुक्त किए गए उन कुर्क अमीनों की है, जिनके मामलों में यह घोषित किया गया था कि वे सिविल पद धारण करते हैं और वे उसी वेतन के हकदार होंगे जो कि राजस्व विभाग के कुर्क अमीनों के संदेय है, उसे इस न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया है ।

16. पूर्वगामी विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जिससे कि उसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके ।"

13. यह प्रकट होता है कि इस न्यायालय द्वारा कुर्क अमीनों की प्रास्थिति को वर्ष 1985 से सरकारी सेवक की प्रास्थिति के रूप में पुष्ट कर दिया गया था ।

14. तत्कालीन उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा तारीख 9 नवम्बर, 2000 से उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी । अनेक कुर्क अमीनों को, जिनके अंतर्गत अपीलार्थी भी हैं, उत्तराखंड राज्य में आबंटित किया गया था और उन्हें उत्तराखंड की सरकारी सेवा में आमेलित किया गया था । चूंकि अनिश्चितता बनी रही, इसलिए कुर्क अमीनों ने तारीख 16 नवम्बर, 1985 से अनुतोष की ईप्सा करने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष

रिट आवेदन फाइल किया । उनका पक्षकथन यह था कि वे भी इस न्यायालय द्वारा इस मामले में पूर्व में दिए गए विनिश्चय द्वारा शासित होने चाहिएं । उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ ने तारीख 31 अगस्त, 2006 के आदेश द्वारा रिट याचिका मंजूर कर ली जिसके विरुद्ध उत्तराखंड राज्य द्वारा अपील फाइल की गई, जिसका विनिश्चय खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 14 सितम्बर, 2010 को किया गया और खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश का प्रवर्तनशील भाग निम्नलिखित रूप में है :–

> "5. उत्तराखंड राज्य की उपर्युक्त दलीलें सही हो सकती हैं या सही नहीं भी हो सकती हैं । तथापि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, जो कि जहां तक उत्तराखंड राज्य का संबंध है, उसका सृजन होने पर प्रवर्तनीय विधि बन गई, हम मामले के इस पहलू की परीक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं । उत्तराखंड राज्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि से बचने की दृष्टि से, जो उत्तराखंड राज्य को लागू हो गई, ऐसी विधि बनाने के लिए पूर्णतः सक्षम था किन्तु वास्तविकता यह है कि उत्तराखंड राज्य ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई थी और इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि को अभिपुष्ट करते हुए सहकारी कुर्क अमीनों की प्रास्थिति को सरकारी सेवक की प्रास्थिति के रूप में घोषित किया था । किन्तु उत्तराखंड राज्य के सृजन के कारण, याचिका के उन सदस्यों को, जो उक्त राज्य के विभाजन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य कर रहे थे और जिन्होंने विभाजित उत्तराखंड राज्य में उसी स्थान पर कार्य करना जारी रखा जहां वे विभाजन से पूर्व कार्य कर रहे थे, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **बनाम** चन्द्र प्रकाश पांडे और अन्य वाले मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का लाभ प्राप्त हुआ होगा । यह बात हमें बोधगम्य प्रतीत नहीं होती कि मात्र इस कारण कि राज्य का विभाजन हो गया था, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, उन्हें ऐसे लाभ से वंचित किया जाएगा । हम, इन परिस्थितियों में, याचिका के सदस्यों को उक्त निर्णय के लाभ या फायदे से वंचित नहीं कर सकते और न ही उक्त निर्णय के विनिश्चयाधार का अनुसरण करने से बच सकते हैं ।

7. तद्नुसार, हम मामले को समाप्त करते हैं और इस प्रकार, अपीलाधीन निर्णय और आदेश में इस आशय के सिवाय हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं कि याची के सदस्यों को उक्त निर्णय और आदेश के अनुसरण में जो पारिणामिक फायदे होंगे वे तारीख 9 नवम्बर, 2000 से होंगे न कि तारीख 16 नवम्बर, 1985 से, जैसा कि अपीलाधीन निर्णय और आदेश द्वारा निदेश दिया गया था । तद्नुसार, अपील का निपटारा किया जाता है ।"

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की थी कि अपीलार्थियों को **चन्द्र प्रकाश पांडे** (उपर्युक्त) वाले निर्णय के फायदे से इनकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्थिति भी वहीं है । तथापि, खंड न्यायपीठ द्वारा पैरा 7 में यह मत व्यक्त किया गया था कि वे तारीख 9 नवम्बर, 2000 से न कि तारीख 16 नवम्बर, 1985 से पारिणामिक फायदों के हकदार होंगे ।

16. इसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि उनकी पूर्ववर्ती सेवाओं की गणना नहीं की जाएगी; यह केवल उत्तराखंड राज्य पर वर्ष 1985 से नियत तारीख, अर्थात्, 9 नवम्बर, 2000 की बाबत धनीय दायित्व न डालने की बाबत था ।

17. उत्तराखंड सहकारी संघर्ष कुर्क अमीन परिषद् द्वारा एक नई रिट याचिका फाइल की गई थी, जो कि 2015 की रिट याचिका सं. 2372 है और उसे **चन्द्र प्रकाश पांडे और अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए मंजूर कर लिया गया था, जिसका प्रवर्तनशील भाग आरंभ में पहले ही उद्धृत कर दिया गया है ।

18. राज्य ने उक्त विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 11 जुलाई, 2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा उस विनिश्चय को उलट दिया । उस आदेश का सुसंगत भाग इसमें इसके नीचे उद्धृत किया गया है :–

"29. उपर्युक्त विचार-विमर्श का परिणाम यह है कि अपील मंजूर की जाती है और विद्वान् एकल न्यायाधीश का निर्णय अपास्त किया जाता है और उसे निम्नलिखित रूप में उपांतरित किया जाता है –

आक्षेपित निर्णय में विद्वान् एकल न्यायाधीश के इस निदेश

को कि याचियों की पिछली सेवा की गणना चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान और सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों के लिए, जिसके अंतर्गत पेंशन आदि भी है, नियत तारीख से की जाएगी, इस अर्थ में स्पष्ट किया जाता है कि याचियों की पिछली सेवाओं की गणना चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान और सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों के लिए, जिसके अंतर्गत पेंशन भी है, तारीख 9 नवम्बर, 2000 से की जाएगी न कि किसी पूर्ववर्ती अवधि से, जैसा कि याचियों ने दावा किया है ।

30. हम यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि इस मामले पर पिछली सेवा की गणना चयन श्रेणी और प्रोन्नति वेतनमान के प्रयोजनार्थ तारीख 9 नवम्बर, 2000 से करने पर विचार किया जाएगा और इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विनिश्चय किया जाएगा ।

31. जहां तक रिट याचिकाओं में ए.सी.पी. देने के संबंध है, जहां रिट याचियों ने ए.सी.पी. के लिए दावा किया है, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, हम यह निदेश देते हैं कि अपीलार्थी ऐसे प्रत्येक रिट याची के मामले के संबंध में विचार करेंगे, जिसने रिट याचिकाओं में ए.सी.पी. देने के लिए ऐसा दावा किया है और इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार विनिश्चय करेंगे और उक्त विनिश्चय रिट याचियों को संसूचित किया जाएगा । यदि रिट याची अपात्र पाए जाते हैं तो आदेशों में, उसके लिए कारण और उस सामग्री को भी उपदर्शित किया जाएगा जिसका अवलंब ए.सी.पी. से इनकार करने के लिए लिया गया है ।"

19. हमारी सुविचारित राय में, राज्य का पुनर्गठन हो जाने पर कुर्क अमीनों की पिछली सेवा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था और इस न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का फायदा ऐसे उक्त कुर्क अमीनों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध था, जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य को आबंटित की गई थीं । उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदान की गई सेवाओं को चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों, जिनके अंतर्गत पेंशन आदि भी है, पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है । यह

निर्णय विधि के अनुसार सही नहीं है और न्यायोचित फायदे को किसी उचित कारण के बिना छीन लिया गया है और यह सेवा विधिशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है और राज्य का विभाजन होने के कारण पदधारी पेंशनिक और अन्य फायदों के लिए अपनी सेवाओं का फायदा खो नहीं सकते । इस प्रकार, उनकी पिछली सेवाओं की गणना सभी प्रयोजनों के लिए करनी होगी, जिसके अंतर्गत चयन श्रेणी, प्रोन्नति वेतनमान, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदे और पेंशन भी है और उसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है । अपीलार्थियों को ऐसे सभी अनुतोषों का हकदार ठहराया जाता है जो कि उन्हें एकल न्यायपीठ द्वारा अनुदत्त किए गए थे । यह फायदा समरूप स्थिति वाले अन्य सभी पदधारियों को भी दिया जाए और उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त मुकदमेबाजी में धकेला नहीं जाना चाहिए ।

20. यद्यपि उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल ने इस स्थिति से बचने का गंभीर प्रयास किया किन्तु वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सके । चूंकि उत्तराखंड राज्य की कार्रवाई पूर्णतः अमान्य पाई गई है, इसलिए हम उस पर खर्चा अधिरोपित करते हैं, जो कि 1,00,000/- रुपए निर्धारित किया जाता है ।

21. खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है । अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.